

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

कचनार 5-5 पर्यावरण परिसर अररा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- २४/०/२०२१

क्रमांक 552 /टीसी/25/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बालाघाट विकास योजना, 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	नजूलशीट क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.		4.	5.	6.
1.	बूढ़ी	306	301/2	0.1021 हेक्टेयर (11000 वर्गफीट)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग	मिश्रित एवं 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
		योग:-		0.1021 हेक्टेयर (11000 वर्गफीट)		

- 1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी।
- 2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे। प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल